

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष: एम०के० सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2900-दो/02 विरुद्ध आदेश दिनांक
05-09-2002 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर, संभाग ग्वालियर प्रकरण
क्रमांक 242/96-97/अपील.

पहलवान सिंह पुत्र लालाराम
निवासी ग्राम नोहर तेहसील जिला गुना म.प्र.

— आवेदक

विरुद्ध

- 1— सनमानसिंह पुत्र माधोसिंह
निवासी नोहर तेहसील जिला गुना
- 2— सुधीर कुमार पुत्र रामेश्वर दयाल
निवासी—हनुमान कालोनी गुना।
- 3— धर्मन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश
निवासी दुर्गा टाकीज के पारा तलैया मोहल्ला गुना
- 4— म.प्र. राज्य
द्वारा तेहसीलदार गुना

— अनावेदकगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी ।

अनावेदक क. -1 की ओर से अधिवक्ता श्री एस.एल. धाकड़ ।

अनावेदक क. 4 शासन की ओर से अधिवक्ता श्री डी.के. शुक्ला ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 15-09-15 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 242/96-97/अपील में पारित आदेश दिनांक 05-09-02 के विरुद्ध म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) को धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के लथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा तह के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम नोहर की भूमि सर्व क. 62/३ रकवा 1.672 है पर रजिस्टरड विक्रम पत्र के आधार पर नामांतरण की मांग की गई है । तहसीलदार द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए दिनांक 2-1-97 को नामांतरण के आदेश दिये गये हैं । जिसके विरुद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय


M

अधिकारी ने दिनांक 30-04-97 को आदेश पारित करते हुए तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश के विरुद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जो उन्होंने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है। अपर आयुक्त के आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3/ उभयपक्ष अधिवक्ताओं को प्रकरण में सुनवाई दिनांक को 7 दिवस में लिखित तर्क पेश करने हेतु समय दिया गया था। लिखित बहस केवल आवेदक की ओर से पेश की गई है अनावेदक पक्ष द्वारा आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है।

4/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह प्रकरण विक्रय और उसके उपरांत हुए नामांतरण के संबंध में है। इस प्रकरण में दोनों अपीलीय न्यायालयों ने यह पाया है कि विक्रेता की आयु कग होकर वह व्यरक्त नहीं था इस कारण नाबालिक द्वारा की गई रजिस्ट्री पर क्रेता को कोई स्वत्व उद्भूत नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालयों का उक्त निष्कर्ष विधिसम्मत है। अभिलेख से यह भी तथ्य आया है कि उभयपक्ष के मध्य व्यवहार न्यायालय में व्यवहार वाद लंबित है जिसमें वही विक्रयपत्र विवादित है जिसके आधार पर नामांतरण की मांग की गई है। अधीनस्थ न्यायालयों का यह निष्कर्ष भी विधिसम्मत है कि व्यवहार न्यायालय का जब तक निर्णय नहीं हो जाता तब तक नामांतरण के आदेश देना उचित नहीं है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर आयुक्त का आदेश उचित, न्यायिक और वैधानिक आधारों पर होने से तथा व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी होगा इस तथ्य को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है।



(एम. कै. सिंह)

सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
गवालियर